प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 10 निर्मित/अद्धनिर्मित अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.05.2022

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा "ऑपरेशन पाताल" चलाकर अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस को "ऑपरेशन पाताल" चलाकर सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ. राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण एवम् क्षेत्राधिकारी लहरपुर श्री सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त नरेश पुत्र केसरी नि0 बहेरवा थाना लहरपुर सीतापुर को ग्राम गौरिया प्रह्लादपुर के पास से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त के कब्जे से मौके से **08 अदद निर्मित शस्त्र, 02 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 अदद खोखा कारतूस एवम् अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत के उपकरण बरामद** हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 316/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट व 317/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त पूर्व में अवैध शराब/अवैध शस्त्र निर्माण/विक्रय/धोखाधड़ी/हत्या का प्रयास आदि जैसे विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहा है जिनके संबंध में थाना लहरपुर व कोतवाली देहात पर पूर्व में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 316/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना लहरपुर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 317/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना लहरपुर सीतापुर

अभियुक्त का नाम/ पता- नरेश पुत्र केसरी नि0 बहेरवा थाना लहरपुर सीतापुर

बरामदगी विवरण–

- 04 अदद निर्मित तमन्चा 315 बोर
- 04 अदद निर्मित तमन्चा 12 बोर
- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर अर्द्धनिर्मित
- 01 अदद बंदूक 12 बोर अर्द्धनिर्मित
- 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- एवम् अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत के उपकरण।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह
2. उ0नि0 श्री जय प्रकाश यादव
3. उ0नि0 श्री सुरेंद्र सिंह
4. मुख्य आरक्षी दिनेश सिंह चौहान
5. मुख्य आरक्षी जय प्रकाश
6. मुख्य आरक्षी रवि सिंह
7. मुख्य आरक्षी साबिर अली
8. आरक्षी विनय कुमार
9. आरक्षी राजकुमार
10. आरक्षी मनीष चौधरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नरेश उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 202/2000 धारा 323/354/506 भादवि थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 189/07 धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 492/12 धाना 307 भादवि थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
4. मु0अ0सं0 494/12 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
5. मु0अ0सं0 366/16 धारा 325/323/504 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर
6. मु0अ0सं0 01/18 धारा 41/411/412/420/467/468/471 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर

7. मु0अ0सं0 02/18 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना लहरपुर सीतापुर
8. मु0अ0सं0 109/21 धारा 5/25) आर्म्स एक्ट थाना को.देहात सीतापुर
9. मु0अ0सं0 112/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना को.देहात सीतापुर